

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14022026-270137  
SG-DL-E-14022026-270137

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

[रा.रा.क्ष.दि. सं. 465

No. 50]

DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

[N. C. T. D. No. 465

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

सं 19 /2025-राज्य कर (दर)

फा0सं0 3(42)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/139.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा दिनांक 22 सितंबर, 2025 की अधिसूचना फा0सं0 3(21)/वित्त/(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/924 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित दिनांक 22 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 09/2025-राज्य कर (दर) के द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II- 9% में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;"
------	------------------------	------------

(ख) अनुसूची III - 20% में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अविनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्चिष्ठ [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर];
16.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी;
17.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अतिरिक्त)	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्त्व (बीड़ी को छोड़कर);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त उत्पाद और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त उत्पाद और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;"

(ग) अनुसूची VII-14% और उससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 फरवरी, 2026 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

**टीप:** मूल अधिसूचना संख्या 09/2025-राज्य कर (दर), दिनांक 22 सितंबर, 2025 को दिनांक 22 सितंबर, 2025 की अधिसूचना फा0सं0 3(21)/वित्त/(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/924 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

## **FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**

### **NOTIFICATION**

Delhi, the 11th February, 2026

#### **No. 19/2025-State Tax (Rate)**

**No. F.3 (42 )/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/139** .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do ,on the recommendations of the Council , hereby makes the following amendments in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 in the notification No.09/2025-State Tax (Rate), dated the 22<sup>th</sup> September, 2025, published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), *vide* number F.3(21)/Fin/(Exp-I)/2025-26/DS-I/924, dated the 22<sup>th</sup> September, 2025, namely :-

In the said notification, -

(a) in the Schedule II – 9%, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

“4A.	2403 19 21, 2403 19 29	Biris;”
------	---------------------------	---------

(b) in the Schedule III – 20%, after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

“14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences [other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion;”

(c) the schedule VII – 14%, and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with 1<sup>st</sup> day of February, 2026.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,  
MANGEJ SINGH, Dy. Secy. (Fin.)

**Note:**—The principal notification No. 09/2025-State tax (rate), dated the 22<sup>th</sup> September, 2025 was published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, section 3, sub- section(i), *vide* number F.3(21)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/924, dated the 22<sup>th</sup> September, 2025.